उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्याः 297/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2019–3(3)–मा0सं0–04/2014 दिनांक 16 फरवरी, 2019

## कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 के विभन्न सेवा संवर्गों की वेतन विसंगतियों का परीक्षण कर संस्तुतियाँ दिये जाने हेतु गठित वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा सहायक अभियन्ताओं के सम्बन्ध में दी गई संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 11.01.2019 को सम्पन्न 143वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निर्गत पा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 105–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2019–6–काविनी एवं वे0प्र0/2018 दिनाँक 29.01.2019 की अनुरूपता में उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन माध्यम से दिनाँक 14.02.2019 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :–

दिनांक 19.02.2009 से लागू ए0सी0पी0 योजना में सहायक अभियन्ताओं को छठवें वेतन आयोग में 14 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 8700 वेतन बैण्ड–4 (37400–67000) में अनुमन्य प्रारम्भिक न्यूनतम बैण्ड वेतन रू0 37400/– एवं सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 में अनुमन्य प्रारम्भिक न्यूनतम वेतन रू0 123100/– पर 02 अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उपरोक्तानुसार 14 वर्ष की सेवा पर 02 अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमन्यता के फलस्वरूप छठवें वेतन आयोग में द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य बैण्ड वेतन रू0 37400/– के स्थान पर बैण्ड वेतन रू0 40220/– एवं सातवें वेतन आयोग में अनुमन्य वेतन रू0 123100/– के स्थान पर रू0 130600/– का वेतन स्तर अनुमन्य होगा।

3– उपरोक्त 02 अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमन्यता इस प्रतिबन्धाधीन होगी कि ऐसे सहायक अभियन्ता जिन्हें ए0सी0पी0 के प्राविधानों के अन्तर्गत 14 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने से पूर्व द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय हो रहा है, उन्हें उपरोक्त प्रस्तर–02 में निर्धारित किये गये वेतन स्तर (02 अग्रिम वेतन वृद्धि सहित) तक का लाभ 14 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर ही अनुमन्य कराया जायेगा।

4– इस प्रकार 02 अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमन्यता दिनांक 28.02.2019 से लागू ए0सी0पी0 योजना में 14 वर्ष की सेवा पर केवल सहायक अभियन्ता आगमन पद से देय ए0सी0पी0 व्यवस्था के सन्दर्भ में ही होगी।

5– उपरोक्तानुसार अनुमन्यता की तिथि से मात्र प्राकल्पित वेतन निर्धारण किया जायेगा एवं दिनाँक 29.01.2019 के पूर्व तक किसी भी प्रकार के अवशेष की देयता नहीं होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संo 297–(1)–मा0सं0–(04)/उ0नि0लि0/2019 तद्दिनांक।

*प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–*

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/मलावन(एटा)।

शेष पृष्ठ–2 पर....

5. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/ईधन/जानपद–नवपरियोजनायें /पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनाँक 14.02.2019 को परिचालन माध्यम से सम्पन्न हुई बैठक के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0(01/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/ तापीय परिचालन/जानपद/वित्त/लेखा, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ ।
10. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
11. उप सचिव (मा0सं0–02), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–01/रिफार्म) उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
15. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ ।
16. कट फाइल।

16/02/19
(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–04)